रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 402] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 26, 1973/अग्रहायण 5, 1895

No. 402] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 26, 1973/AGRAHAYANA 5, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November 1973

S. O. 716 (E).—In pursuance of the provisions contained in sub-section (1) of Section 13AA of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission in consultation with the Government of Bihar hereby directs that for the words, 'Nawada and Aurangabad' occurring in the Commission's notification No. 508/73 (BR), dated the 13th February, 1973, the words "Nawada Aurangabad, Katihar and Gopalgang" shall be substituted.

[No. 508/73 (BR)]

By order,

A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1973

एस० ओ० 716 (अ):—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13क की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग, बिहार सरकार के परामर्श से, एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि आयोग की अधिसूचना संख्या 508/73 (बिहार) तारीख 13 फरवरी, 1973 में "नवादा और औरंगाबाद" शब्दों **के स्थान पर** "नवादा, औरंगाबाद, कटिहार और गोपालगंज" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 508/73 (बिहार)]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973